# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/टीए/1808/2005/जयपुर**

1— छीतर पुत्र रामनारायण
2— शिवदयाल पुत्र रामनारायण
3— श्रीमती सरजु देवी देवा स्वर्गीय श्री रामदयाल
4— अर्जुनराम पुत्र स्व. रामदयाल

5— पूसाराम )
6— मंगलाराम ) पुत्रान स्व. रामदयाल नाबालिकान जरिए माता
7— गिरधारी ) श्रीमती सरजुदेवी बेवा स्व. पत्नी स्वर्गीय श्री रामदयाल समस्त जातियान— जाट निवासीगण ग्राम खुड़ियाला तहसील दूदू जिला जयपुर।

——अपीलांट्स

**बनाम**

1— सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।
2— श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेंट्स

**खण्डपीठ**
**श्री,गणेश कुमार, सदस्य**
**श्री भवानीसिंह पालावत,सदस्य**

**उपस्थितः—**

श्री जे.के पारीक ,अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट्स की ओर से

**निर्णय**

**दिनांकः 12 —12—2022**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 24—12—2002 व राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 02—03—2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादीगण ने विचारण न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नं0 1 रकबा 9 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नं0 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके पुराने खसरा नं0 1 रकबा 157 बीघा स्थित ग्राम खुड़ियाला के बाबत अंतर्गत धारा 88,188 एक राजस्व वाद प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजी में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन तालाब व पाल गलत दर्ज हो गई है जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है जिसका इंद्राज दूरस्त करवाने के लिए दावा पेश कर खातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24—12—2002 से वादी का वाद प्रमाणित नहीं होने पर खारिज कर

दिया जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— अपील पर अभिभाषकगण उभयपक्ष को सुना गया।

4— अभिभाषकगण अपीलांट्स ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य साबित था कि ग्राम खुड़ियाला का प्रथम सेटलमेंट संवत 1987 में हुआ था जिसमें वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के बुजुर्ग जैराम वल्द गंगाराम, रामकरण वल्द श्योनारायण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही, जिसका खसरा नं0 1 रकबा 157 बीघा था जिसमें ही हाल खसरा नं0 1 रकबा 9 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नं0 2 रकबा 1 बीघा 10 एवं अन्य नम्बरान बने। अन्य खसरा नं0 का पर्चा वर्तमान सेटलमेंट संवत 2011 में अपीलार्थीगण के बुजुर्गों से हटाकर विवादित आराजी को सिवायचक एवं गैर—मुमकिन नाड़ी व पाल अंकित कर दिया जबकि भू—प्रबंध विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को खातेदारी से हटाकर सिवायचक या गैर—मुमकिन नाड़ी घोषित करने का अधिकार नहीं है परंतु इस आधारभूत कानूनी सिद्धांत के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने संवत 2011 में विवादग्रस्त आराजी को अपीलार्थीगण के बुजुर्गों की खातेदारी में माना है परंतु काश्त काबिज नहीं माना है जबकि संवत 2000—2006 तक खसरा गिरदावरी उक्त भूमि में काश्त अपीलार्थीगण के बुजुर्गों की रही एवं संवत 2020 से लगातार अपीलार्थीगण का कब्जा माना परंतु संवत 2011 में सिवाय चक किस आधार पर हुई, स्पष्ट नहीं किया गया। उनका तर्क है कि उक्त सभी आधार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मिसिल बंदोबस्त संवत 1988 एवं नए एवं पुराने नक्शों व मिलान क्षेत्रफल से साबित थी परंतु इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का गलत निष्कर्ष निकालकर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वंशावली एवं मौखिक साक्ष्य उप सरपंच ने यह साबित था कि अपीलांट सं0 1 व 2 के दादा स्व0 जैराम था एवं अपीलांट्स मृतक जैराम व रामकरण के ही वंशज है परंतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उनको वारिस नहीं मानकर कानूनी त्रुटि की है।

5— अभीभाषक अपीलांट ने अपनी बहस व तर्कों के संबंध में आर बी जे 2022 पेज 554, आरबीजे 2017 पेज 134, 2011(1) आरआरटी 512, 2004

आरआरडी पेज 577, 2013(3) डी एन जे(आरजे) पेज 994(एचसी), 1977आरआरडी 378, 1998 आरआरडी 254, 2000 आरबीजे 213, 2021 आरबीजे 687, 2022 आरबीजे 389(एचसी) एवं 2021(2) आरआरटी 1016 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए और अंत में अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री करने को निवेदन किया।

6— इसके विपरीत उपराजकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस का खण्डन किया और बताया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गैर—मुमकिन नाड़ी/तलाई दर्ज है। वादीगण/अपीलांट्स ने अपने दावे को किसी भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करवाया है जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण न्यायालय ने अपना विस्तृत निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 02—03—2005 से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री को यथावत रखा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री समवर्ती है। उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7— हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गई बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल/जमाबंदी हकियत बंदोबस्ती 1988 के अनुसार खसरा नं0 1 जैराम वल्द गंगाराम, रामकरण वल्द श्योनाथ की खातेदारी भूमि दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2000 के अनुसार खसरा नं0 01 की 157 बीघा भूमि में से किस्म जमीन पाल व नाड़ी 17 बीघा, रास्ता 2 बीघा पड़त जमीन 102 बीघा 15 बीस्वा भूमि अंकित की गई है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2004 के अनुसार 157 बीघा भूमि में से 12 बीघा भूमि में काश्त करना अंकित किया है तथा पाल 1 बीघा तथा नाकाबिल काश्त 16 बीघा व 92 बीघा काबिल काश्त अंकित की है। नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2022 से 2023 ईएक्सपी के अनुसार 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काश्त दर्ज की गई है तथा शेष भूमि गैर तलाई अंकित की गई है। नकल खसरा परविर्तनशील संवत 2023, 2040 से 2043 के अनुसार विवादित भूमि पर काश्त छीतर पुत्र रामनारायण व छीतर, रामदयाल, शिवदयाल पि0 रामनारायण की दर्ज की गई है। नकल जमाबंदी संवत 2047 से 2050 के अनुसार विवादित भूमि

सिवायचक है तथा गैर मुमकिन चाह एवं तलाई हेतु दर्ज है। नकल नक्शा ट्रेस संवत् 1988 व नक्शा वर्तमान भी पेश किया है जो ईएक्सपी 7 व 8 है। भू–राजस्व शास्ती की अदायगी 31–10–90 को रामदयाल, द्वारा अदा की गई है। ईएक्सपी 11 के अनुसार शास्ती छीतर पुत्र रामनारायण द्वारा अदा की गई है। ईएक्सपी 12 के अनुसार शास्ती, छीतर रामदयाल व शिवदयाल पि0 रामनारायण के द्वारा अदा की गई है। ईएक्सपी 13, 14 के अनुसार शास्ती छीतर द्वारा अदा की गई है। ईएक्सपी– 15 के अनुसार शास्ती शिवदयाल द्वारा तथा 16 के अनुसार छीतर, रामदयाल द्वारा के अदा की गई है वादी ने अपने बयानों में यह बाताया गया है कि विवादित भूमि उनके पूर्वज जयराम पुत्र गंगाराम व रामकरण पुत्र श्योनाथ की खातेदारी की जमीन थी। विवादित भूमि के वर्तमान खसरा नं0 1 व 2 है तथा पुराने ख0 नं0 1 है तथा पुराने खसरा नं0 1 है। विवादित भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज काश्त करते थे तथा वर्तमान में वादीगण काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण संयुक्त परविार के सदस्य हैं विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि के बीच में पड़ती है जिसमें सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना सूचना दिए ही गैर– मुमकिन पाल व नाड़ी अंकित कर दिया जो गलत है। इसके अलावा गवाह श्रीराम ने भी वादी के बयानों की पुष्टि की है तथा गवाह बन्नाराम ने भी वादी के बयानों की पुष्टि की है।

8– दावे को साबित करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण ने विवादित भूमि का साबिक खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है जिससे यह कतई सिद्ध नहीं होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1 से बनी है। नकल जमाबंदी बंदोबस्त 1988 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1 जिससे वादी हाल खसरा नंबर 1 व 2 बना बताता है, जैराम बल्द गंगाराम व रामकरण बल्छ श्योनाथ के नाम से थी, वादीगण ने अपने दावे में कहीं भी यह अंकित नही किया है कि जैराम व रामकरण का वादीगण से क्या रिश्ता था केवल पूर्वज कह देने मात्र से ही सम्बन्ध स्थापित नही हो सकता है। अपने बयानों में भी वादीगण ने इस बात का कोई खुलासा नही किया है न ही कोई सजरा खानदान दावे में पेश किया है इससे भी वादी का दावा साबित नही है। इसके अलावा सम्वत 2004 में भी 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि पाल व नाड़ी अंकित थी। सम्वत 2004 से 2023 तक विवादित आराजी पर वादीगण या उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय

विवादित भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही था एवं न ही विवादित आराजी काश्त के उपयोग में ली जा रही थी बल्कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन तलाई व पाल अंकित थी। सं0 2023 से वादीगण ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर काश्त करना प्रारंभ किया व सम्वत 2024 से 2039 तक विवादित आराजी पर कोई काश्त नही की गई है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी पर वादीगण ने सम्वत 2022 से नाजायज रुप से काबिज होकर काश्त की व उसके बाद सम्वत् 2039 तक कोई काश्त नही की तथा जब जब भी वादीगण ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर काश्त की उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर शास्ती कायम की गयी है, जिसकी अदायगी भी वादीगण ने की है तथा वादीगण ने अपने आप को अतिक्रमी भी स्वीकार किया है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत भी विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई होने से वादीगण को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद को किसी भी ठोस साक्ष्य से प्रमाणित नही कर सके हैं। ग्राम पंचायत या अन्य संस्थाओं के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों में यह इनके खेत में स्थित है या सार्वजनिक उपयोग में नही आती है, के आधार पर भी विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि को व्यक्तिगत भूमि की श्रेणी में नहीं लाया जा जकता । जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि सं0 2022 व 2023 में कब्जा रहा भी है तो वह कब्जा बतौर अतिक्रमी रहा है जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशीन दस्तावेज से भी होती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर जो विस्तृत निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है, उचित व कानून सम्मत हैं। चूँकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती हैं । हम उक्त समवर्ती निर्णय व डिक्री में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अपीलांट्स पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट कि उक्त नजीरें आर बी जे 2022 पेज 554, आरबीजे 2017 पेज 134, 2011(1) आरआरटी 512, 2004 आरआरडी पेज 577, 2013(3) डी एन जे(आरजे) पेज 994(एचसी), 1977आरआरडी 378, 1998 आरआरडी 254, 2000 आरबीजे 213, 2021 आरबीजे 687, 2022 आरबीजे 389(एचसी) एवं 2021(2) आरआरटी 1016 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

9— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—12—2002 व राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02—03—2005 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य